प्रेस नोट

दिनांक 11.07.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के किशोर अपचारी को हुई 25 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 1,00,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा दिनांक 30.03.2024 को थाना कटराबाजार को सूचना दी कि उनकी नाबालिग लड़की(पीड़िता) उम्र 11 वर्ष अपने भैस को चारा डालने गयी थी तभी विपक्षी द्वारा पीड़िता को भुसैला में ले जाकर दुराचार किया है। तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये किशोर अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड गोण्डा भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा मात्र 33 दिन में साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त किशोर अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र मय पृष्ठभूमि रिपोर्ट मा0न्यायालय किशोरबोर्ड गोण्डा में दिनांक 03.05.2024 को प्रेषित किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोण्डा द्वारा शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व थाना कटराबाजार के पैरोकार हे0का0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 बन्दना के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त किशोर अपचारी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-102/24, धारा 376(A,B) भादवि 5M/6 पॉक्सो एक्ट थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।